



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां, एच 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,

नौरोजी नगर, नई दिल्ली-110029

याचिका सं. 172/टीएल/2024

दिनांक: 11.7.2024

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी-9, कुतुब इस्ट, टीयूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110 016, द्वारा "विनियामक टैरिफ तंत्र" (आरटीएम) मोड (इसके बाद "पारेषण योजना / परिचयना" के रूप में संदर्भित) के माध्यम से आरई उत्पादन परियोजनाओं के समेकन के लिए अनंतपुरम पीएस पर 400 केवी लाइन बे के 3 नंबर के कार्यान्वयन के लिए पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु पृथक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है। परियोजना का कार्यक्षेत्र जिसके लिए पारेषण अनुज्ञापि की मांग की गई है, निम्नानुसार है:

क्र.सं.	पारेषण योजना का कार्यक्षेत्र	मद विवरण	कार्यान्वयन टाइमफ्रेम
1.	मैसर्स रिन्गू विक्रम शक्ति प्राइवेट लिमिटेड को संयोजकता के लिए अनंतपुरम पीएस पर 400 केवी लाइन बे का 2 नंबर	400 केवी लाइन बे - 2 नंबर	31.03.2026
2.	मैसर्स एबीसी क्लीनटेक प्राइवेट लिमिटेड को संयोजकता के लिए अनंतपुरम पीएस पर 400 केवी लाइन बे का 1 नंबर	400 केवी लाइन बे - 1 नंबर	31.03.2026

- सेंटरल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 19.4.2024 को अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली की स्थापना के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
- रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 172/टीएल/2024 में दिनांक 11.7.2024 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोलिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि जारी किए जाने को प्रस्तावित किया है।
- पावरग्रिड अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रती को वेबसाइट <https://www.powergrid.in/en/powergrid-ananthapuram-kurnool-transmission-limited> पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
- नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञापि प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 23.7.2024 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- आयोग द्वारा दिनांक 25.7.2024 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/-

(हरप्रित सिंह पुथी)

सचिव